## मुख्य मंत्री हुनर विकास योजना -

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पात्रता | 1. योजना अन्तर्गत राजकीय एवं अनुदानित बाल गृहों के आवासी जिनकी आयु 17 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। एवं अधिकतम आयु 21 वर्ष हो।<br>2. योजनान्तर्गत पालनहार योजना के लाभार्थी जिनकी आयु 17 वर्ष से 21 वर्ष के बीच की हो।<br>3. योजनान्तर्गत उक्त पात्रताधारियों को व्यवसाय/तकनीकी प्रशिक्षण उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता एवं स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहयोग उपलब्ध करावाया जायेगा। |
| 2. | आवेदन कहां किया जायें | जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन किया जा सकता है। |
| 3. | देय लाभ | योग्य आवेदक को उच्च शिक्षा हेतु 25000/- तक की राशि देय हैं। |